

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) पीथीसा...

पीठासीन अधिकारी :- श्री राहुल सैनी आर.ए.एस.

सरोज देवी

उनवान

बनाम

राज. सरमा

दावा बाबत नाम दुखती 015 88 87A

मुकदमा नम्बर :- 136/2021

निर्णय दिनांक :- 02-12-2021

वादी की ओर से सरोज देवी की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 02-12-21 को श्री राहुल सैनी आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अतिन निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -- दावा कादिनी स्वीकार किया जाऊँगा खाता सं० 155 रोडी ग्राम पीथीसा में झुला पुत्री पोकरराम के स्थान पर सरोज देवी पुत्री पोकरराम दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। उक्त नाम के सम्बन्ध में कोई विवाद होगा तो उसकी समस्त जिम्मेदारी कादिनी ही रहेगी। तहसीलदार, चूरु उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दराज करे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 02-12-2021 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

02/12/21

(राहुल सैनी)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रूपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तमील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	



770 रु 2551

04/12/2021